अदालत.........जिला कलक्टर............मुकाम......................श्रीगंगानगर..

................सीलिंग विविध प्रकरण संख्या 5/05 सरकार बनाम भूरीदेवी एवं सीलिंग विविध प्रकरण सं0 3/14 अन्तराम वगैरा बनाम सरकार अ0 धारा 144 सीपीसी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को मुन्तकिल करने बाबत..

किस्म मुकदमा:–मुन्तकिली मुकदमा प्रकरण संः– 90/2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख
05.10.2016	अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र संख्या रीडर/सीलिंग/16/2343 दिनांक 22.09.2016 के द्वारा निवेदन किया है कि उनके न्यायालय में विविध सीलिंग प्रकरण संख्या 5/05 सरकार बनाम भूरीदेवी एवं विविध सीलिंग प्रकरण सं0 3/14 अन्तराम वगैरा बनाम सरकार अ0 धारा 144 सीपीसी विचाराधीन है। पत्रावली सं0 3/14 अन्तराम वगैरा बनाम सरकार में प्रार्थी जगदीश खोलायत पुत्र मानादेवी विधवा श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील सादुलशहर ने दिनांक 22.09.16 को उनके न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि वह प्रकरण में प्रभावित पक्षकार है वह सीलिंग प्रकरण का निर्णय नही करवाना चहाता है। पत्रावली सं0 5/05 सरकार बनाम भूरी देवी एवं पत्रावली सं0 3/14 अन्तराम वगैरा बनाम सरकार, मूल सीलिंग पत्रावली सं0 75/77 सरकार बनाम भूरीदेवी वगैरा निर्णय दिनांक 17.03.1987 से संबंधित है। प्रार्थी जगदीश द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्रो के तथ्यों के प्रकाश में एवं व्यापक न्यायहित में तथा न्यायालय की गरिमा के सन्दर्भ में उक्त दोनो प्रकरणो को अन्य न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण हेतु स्थानान्तरण करने की प्रार्थना की है। मैने उक्त पत्र का अवलोकन किया एवं इसके सलंग्न प्रा0 पत्र जगदीश खोलायत पुत्र मानादेवी विधवा श्री रामचन्द्र व माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा अपील सीलिंग संख्या 319/2002 सरकार बनाम अनन्तराम में पारित निर्णय दिनांक 28.04.2014 का अवलोकन किया तो पाया कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 28.04.14 में सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 13.09.2001 विधि सम्मत मानते हुए पुष्ट किया है। उक्त निर्णय की पालना के लिए धारा 144 सीपीसी का प्रा0 पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर के समक्ष लंबित है जिसे जगदीश द्वारा अन्यत्र मुन्तकिल करवाने का प्रार्थना पत्र अति0 जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर के समक्ष पेश कर कार्यवाही न करने की प्रार्थना की है और उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए समय चाहा है। धारा 144 सीपीसी के प्रावधानो के अन्तर्गत वही न्यायालय कार्यवाही के लिए सक्षम है जिसके द्वारा डिक्री या आदेश पारित किया गया था। चूंकि इस मामले में अपीलकृत आदेश 13.09.2001 अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर की पालना हेतु धारा 144 सीपीसी का प्रा0 पत्र उनके समक्ष लंबित है और उनके द्वारा ही पालना की जानी है न कि अन्य न्यायालय द्वारा। इसलिए उक्त आदेश की पालना हेतु धारा 144 सीपीसी का प्रा0 पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर से अन्यत्र किसी न्यायालय को मुन्तकिल नही किया जा सकता। उक्त निर्णय की पालना काफी लम्बे समय से शेष है। अतः अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को निर्णय की पालना शीघ्र करनी चाहिये। आदेश की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। यह आदेश आज दिनांक 05.10.2016 को मेरे द्वारा लिखाया गया। (पी.सी.किशन) जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर	

1787
10.10.16